न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 05/2023
GCMS No-2023/11

प्रार्थीः— बनाम अप्रार्थीगण :—

आन्नद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी पाली

श्री लक्ष्मण शर्मा पुत्र श्री हरीराम शर्मा मैसर्स न्यु शर्मा डेयरी पुराना हाउसिंग बोर्ड पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :—

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अरिहन्त चौपडा उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांकः—27-3-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 13.10.2022 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स न्यु शर्मा डेयरी पुराना हाउसिंग बोर्ड पाली पर गये तथा अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। दुकान पर अप्रार्थी आमजन को उपयोग हेतु पनीर बेच रहा था। दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि फ्रिज में 08—10 किलो पनीर रखा हुआ था जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह की उपस्थिति में विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए की दुसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच एफएसएस एक्ट के तहत खरीद कर रहा हूँ। प्रपत्र 5ए पर मेरे विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। गवाह के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रूपये 220/— नकद देकर 800 ग्राम पनीर जांच हेतु खरीदा जिसकी रसीद प्राप्त की। रसीद पर मेरे विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है। विक्रेता एवं गवाह के सामने उक्त खरीदशुदा 800 ग्राम पनीर को नियमानुसार चार भागों में बांटकर उन पर डी ओ कोड व सीरियल नम्बर नाम पता वस्तु का नाम नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अकिंत किये, चारों नमुना के चार लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर **आर 1551** अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, प्रत्येक लेबल पर अप्रार्थी व गवाहन एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। उक्त नमुना पैकेट को अगले कार्यदिवस पर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर में वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से लिया गया पनीर के नमूने को अमानक Sub-standard का होना बताया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-standard पनीर का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपने लिखित जवाब एंव बहस में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मिथ्या एवं निराधार मानते हुए कथन किया अप्रार्थी की फर्म एक प्रतिष्ठित फर्म है जो सब स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थो का विक्रय नही करती है एवं खाद्य सुरक्षा मानको के आधार पर अपनी फर्म का संचालन करते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किशन कुमार पुत्र गोविन्ददास वैष्णव मैसर्स गोविन्द डेयरी पुराना बस स्टेण्ड पाली को पक्षकार बनाया है जिसमें अप्रार्थी लक्ष्मण शर्मा की कोई जवाब देही नही है एवं अप्रार्थी का गोविन्द डेयरी से किसी प्रकार का वास्ता नही है, साथ ही प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से लिये गये पनीर के नमुना लेने समय नियमों की पालना नही की गई है एव ना ही किसी को स्वतंत्र गवाह बनाया है जो यह सिद्ध करता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या एवं निराधार है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.10.2022 को अप्रार्थी की फर्म से जांच हेतु पनीर क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1551 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए नमूना जाचं हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./1746/एक्ट/2022/1739 दिनांक 21.10.2022 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1551 को (Sub-standard) अमानक स्तर का पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सहवन से अप्रार्थी श्री लक्ष्मण शर्मा के स्थान पर किशन कुमार वैष्णव पुत्र श्री गोविन्द दास वैष्णव का नाम अंकित हो गया है जो एंव लिपिकीय त्रुटि है जो पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजो से स्पष्ट होता है एवं यह भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी की दुकान से पनीर का नमुना लेते समय खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन किया है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा पनीर Sub-standard (अमानक) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 10000/– अक्षरे दस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद ''0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 27-3-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)